

कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

Email ID- dcourtpan-mp@nic.in

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांक— P-48 / कोरोना वायरस (बण्डल)2020

पन्ना, दिनांक 02.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक क्यू/5, दिनांक 25 मार्च, 2020 के अनुसार कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से समस्त न्यायिक जिलों में दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक की अवधि के लिये “No Court work” के निर्देश दिये गये थे। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिनांक 14.04.2020 को लॉकडाउन अवधि को बढ़ाये जाने की उद्घोषणा को दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक क्यू-6, दिनांक 14.04.2020 के द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्र क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 में निहित निर्देशों के अनुसार न्यायालय द्वारा किये जाने वाली कार्यवाहियों की अवधि को दिनांक 03.05.2020 तक विस्तारित किया गया था। पुनः केन्द्र सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि को दिनांक 17.05.2020 तक तीसरे चरण में विस्तारित किया गया है, जिसको दृष्टिगत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा परिपत्र क्र. 11 दिनांक 02.05.2020 के द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्र क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 एवं परिपत्र क्र. 6 दिनांक 14.04.2020 में निहित निर्देशों के अनुसार न्यायालय द्वारा किये जाने वाली कार्यवाहियों की अवधि को दिनांक 17.05.2020 तक विस्तारित किया गया है।

इस स्थिति में उक्त अवधि के दौरान विशेष आकस्मिक त्वरित सुनवाई योग्य मामलों यथा-जमानत/रिमाण्ड/सुपुर्दनामा आवेदन-पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के जमानत आदेशों के परिपालन में जमानत तस्दीक संबंधी कार्यवाही, जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अनुमति से तथा तहसील में वरिष्ठतम न्यायाधीश की अनुमति से अन्य प्रकार के अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के संबंध में कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 15.04.2020 ज्ञापन **Reg(IT)(SA)/2020/Q** दिनांक 20.04.2020 के पालन में इस कार्यालय द्वारा जारी विविध आदेश क्र. पी.33 दिनांक 20.04.2020 के अनुसार ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही निष्पादित की जावेगी तथा उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जावेगा। किन्हीं कारणों से उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाहियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित न होने की स्थिति में कार्यवाहियों के दौरान **Social**

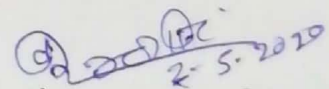
Distancing का पालन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। कोर्ट रूम में डायस से 6 फिट का Distance Maintain किया जावेगा। उक्त कक्ष में प्रवेश अथवा न्यायालय कक्ष में प्रवेश एक के बाद एक क्रम से होगा। पक्षकार/अधिवक्तागण/पुलिस कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति का बिना मास्क (चेहरा कवर किये बिना) न्यायालय परिसर एवं कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा। संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकार/कर्मचारी का कोर्ट रूम में भी कार्यवाही के दौरान मास्क लगाये रखना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक कर्मचारी अपने पास सेनेटाईजर रखेगा, जिससे कि फाइलों के आदान-प्रदान होने के उपरांत सेनेटाईजर का प्रयोग कर संक्रमण से बचा जा सके।

साथ ही रिमाण्ड कार्यवाही अथवा विचारण के दौरान अभियुक्त को जेल अभिरक्षा में भेजे जाने के समय उसकी मेडिकल जांच करायी जावेगी एवं रिपोर्ट आने के बाद ही उसे जेल भेजा जावेगा। यदि रिपोर्ट आने में किसी कारण से विलम्ब होता है तो अभियुक्त को रिपोर्ट आने तक संबंधित जेल में अलग कोरनटाईन में रखा जावेगा।

सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को इस संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण मुख्यालय पर ही रहेंगे, अपने-अपने मोबाईल एक्टिव मोड में रखेंगे और समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

किसी भी अधिवक्ता अथवा पक्षकार द्वारा न्यायालय से संबंधित किसी कार्य के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी, श्री श्याम बाबू भार्गव से मोबाईल नंबर-9926857544 तथा उनके ई-मेल आई.डी. shyambabu171061@gmail.com पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। श्री बुद्धिराज सिंह, सिस्टम ऑफीसर इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगे।

इस संबंध में पक्षकारगण/अधिवक्तागण/कर्मचारीगण/पुलिस एवं अन्य विभागीय से संबंधित अधिकारीगण व कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है, कि वे जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायालय के आदेश के पालन में यदि उपस्थित होते हैं, तो "कोरोना वायरस Covid-19" के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाकर उपस्थित हों, सेनेटाईजर का प्रयोग करें, आपस में न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखें एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवाईजरी का सख्ती से पालन करें।



(प्रेम नारायण सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पन्ना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक— P-48 / 2020
प्रतिलिपि:—

पन्ना, दिनांक— 01 मई, 2020

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर को आदेशानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश/कुटुम्ब न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई,
03. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक पवई,
04. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/प्रतिलिपि/सांख्यिकी/लेखा/ग्रंथालय/कम्प्यूटर अनुभाग पन्ना/पवई/अजयगढ़,
05. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो पवई/अजयगढ़
06. समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण पन्ना,
07. जिला कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. पुलिस अधीक्षक, पन्ना की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि सभी संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
09. प्रस्तुतकार, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना,
10. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, पन्ना, की ओर समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
12. जिला जन संपर्क अधिकारी पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना स्थानीय समाचार-पत्र एवं स्थानीय टी0व्ही0 चैनलों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/जिला नाजिर पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. सिस्टम ऑफीसर/सिस्टम असिस्टेंट पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना सभी न्यायाधीशगण/समस्त कर्मचारीगण की ई—मेल आई0डी0/व्हॉट्स एप नंबर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
15. जेल अधीक्षक पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. जेल अधीक्षक सतना एवं छतरपुर को जेल अधीक्षक पन्ना के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. जिला नाजिर पन्ना/नायब नाजिर पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं न्यायालयीन प्रवेश द्वार पर आदेश की प्रति लगाने तथा के निर्देश के साथ पालनार्थ प्रेषित।

01 मई 2020
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)